रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-283/2017/1784/22-2-2016-17(77)/2006

लखनऊ: दिनांक: 11 अप्रैल, 2017

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, आगरा** के सिद्वदोष **बन्दी भंवर सिंह (बन्दी संख्या-8545) पुत्र श्री बादाम सिंह, निवासी-ग्राम-बरका, थाना-खैर, जिला-अलीगढ़,** जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-1019/1997** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/34, 307/34** के अधीन **दिनांक 16-07-2003** को मा0 चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2003 द्वारा आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया, की शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर

संयुक्त सचिव।

संख्या-283/2017/1784(1)/22-2-2016 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

2- जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़।

3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in